



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय**  
**शहडोल (म.प्र.)**

कार्यालय दूरभाष नं. :-07652-243000  
फैक्स नं. :-07652-243222

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com  
वेबसाइट :-www.gmcshahdol.org

क्रमांक/१९५५/स्था./राज./एम.सी./२०२४

शहडोल, दिनांक ०६/१२/२०२४

**//विज्ञप्ति//**

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ २-५३/२०१७/१/५५ दिनांक १२.०१.२०१८ द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम २०१८" तथा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक ११०५-एफ २-४५/२०१०/१/५५ भोपाल, दिनांक २४.०७.२०२४ में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में पदोन्नति अंतर्गत प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्था स्तर पर (इन-हाउस) विज्ञप्ति जारी कर सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कार्यरत पात्र चिकित्सा शिक्षकों हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक २१/१२/२०२४ सायं ०५ बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

**पदनाम – प्राध्यापक**

स.क.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षण रोस्टर				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	बायोकेमेस्ट्री	01	1	0	0	0	0
2	कम्युनिटी मेडिसिन	01	1	0	0	0	0
3	जनरल मेडिसिन	01	1	0	0	0	0
4	ऑब्स एण्ड गायनी	01	1	0	0	0	0
	योग	04	04	0	0	0	0


**पदनाम – सह प्राध्यापक**


स.क.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षण रोस्टर				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	एनेस्थीसिया	01	1	0	0	0	0
2	जनरल मेडिसिन	01	1	0	0	0	0
3	जनरल सर्जरी	01	1	0	0	0	0
4	ऑर्थलमोलॉजी	01	1	0	0	0	0
5	आर्थोपेडिक्स	01	1	0	0	0	0
6	फार्माकोलॉजी	01	1	0	0	0	0
7	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	01	1	0	0	0	0
	योग	07	07	0	0	0	0

**टीप :-**

1. पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
2. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट [www.gmcshahdol.org](http://www.gmcshahdol.org) उपलब्ध है।
3. आवेदन शुल्क :- अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) एवं आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को रुपये 800/- (आठ सौ रुपये मात्र) की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY खाता क्रमांक - 3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787 बैंक :- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट [www.gmcshahdol.org](http://www.gmcshahdol.org) के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
5. उपरोक्त पद हेतु बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी एवं संलग्न ड्राफ्ट को वापस नहीं किया जावेगा।

(कार्यकारिणी समिति,द्वारा अनुमोदित)

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

**1. आवेदन पत्र जमा करने संबंधी :-**

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	..... <u>21/12/2024</u> सायं 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र भेजने का पता	कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा, शहडोल (म.प्र.) पिन - 484001

**2. आयु सीमा एवं वेतनमान :-**

स.क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	144200-218200 (सातवें वेतनमान का लेवल 14)
2	सह-प्राध्यापक	30 वर्ष	131400-217100 (सातवें वेतनमान का लेवल 13 ए)

टीप :- आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।


3. उपरोक्त पद पर नियुक्ति के उपरांत राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।


4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
  - जाति प्रमाण पत्र :- आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
  - उपरोक्त चिन्हित पदों में से SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित है।
5. शैक्षणिक आर्हतायें :-
  - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क. 103, भाग-III, खण्ड 4, दिनांक 14 फरवरी 2022 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 के अनुसार रहेंगी।
6. चयन के मापदण्ड :-
  - चयन के मापदण्ड म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1105-एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल, दिनांक 24.07.2024 के अनुसार होंगे।
7. निरर्हतायें :-
  - 7.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
  - 7.2 दुश्चरित्र होने पर।
  - 7.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  - 7.4 नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
  - 7.5 विवाह संबंधी:- जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।
  - 7.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।
  - 7.7 कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  - 7.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  - 7.9 स्वास्थ्य संबंधी :- चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।
8. सामान्य शर्तें :-
  - (i) यह नियुक्ति पूर्णतः नवीन नियुक्ति होगी। किसी भी स्थिति में पूर्व संस्था/चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
  - (ii) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परीक्षा पर की जावेगी।
  - (iii) इस संस्था में उपस्थिति/नियुक्ति के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।
  - (iv) चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

- (v) आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा चयनित पद पर उपस्थिति दिनांक से 3 वर्ष जो भी पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं शर्तों के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
- (vi) अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के साथ – साथ म.प्र. सिविल सेवा नियम भी लागू होंगे।
- (vii) आवेदन को आवेदन पत्र के साथ संबंधित विषय की पी.जी. डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन (पी.जी.) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (viii) डी.एन.बी. डिग्रीधारी आवेदक— डी.एन.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे बिस्तरों की संख्या, फेकल्टी की मान्यता, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने पर ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (ix) ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 के तहत की हो, के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पर लिया जा सकेगा।
- (x) संबंधित पद की समस्त अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (xi) चयन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में आवेदन पत्र दिनांक 21/12/24, दिन — शनिवार... को सायं 05 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी।
10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे अर्हता/अनुभव/शोध पत्र इत्यादि को ही मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
11. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
12. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।
13. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट GMC SHAHDOL.ORG उपलब्ध है।

**महत्वपूर्ण टीप :-**

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें।
2. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
3. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
4. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)


8945-8948


पृ.कमांक / ..... / स्था. / राज. / एम.सी. / 2024

शहडोल, दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, स्थानीय कार्यालय, की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)